

¹[प्ररूप सं. 26थड]

[धारा 194ध, नियम 30(2घ) और (6घ) और नियम 31क(4) और (4घ) देखें]

विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा धारा 194ध के अधीन कर कटौती का चालान-सह-विवरण

वित्तीय वर्ष		-	मुख्य शीर्ष कोड*					लघु शीर्ष कोड*		
व्यक्ति जिसकी कटौती की गई हो उसकी स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या										
स्थायी खाता संख्या के प्रवर्ग*				पैन की प्रास्थिति*						
वह व्यक्ति जिसकी कटौती की गई हो उसका पूरा पता										
वह व्यक्ति जिसकी कटौती की गई हो उसका पूरा पता										
				पिन						
मोबाइल सं.			ई-मेल आईडी							
कटौतीकर्ता की स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या										
स्थायी खाता संख्या का प्रवर्ग*			पैन की प्रास्थिति*							
कटौतीकर्ता का पूरा नाम										
कटौतीकर्ता का पूरा पता										
				पिन						
मोबाइल सं.			ई-मेल आईडी							
वर्चुअल डिजिटल आस्ति (वीडीए) के अंतरण की तारीख		प्रतिफल का कुल मूल्य (रु. में रकम)		क्या अन्य वीडिए का वस्तु के रूप में या विनिमय के रूप में संदाय किया गया है		हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>				
यदि हाँ, तो उपबंधित करे			चालान पहचान संख या		बैंक शाखा का बी एसआर कोड		वह तारीख जिसको कर जमा किया गया		चालान क्रम संख्या	
संदत्त कर की रकम (रु. में)										
किसी अन्य वीडिए को संदत्त/प्रत्यय की गई रकम या तो नकद या वस्तु के रूप में या विनिमय के रूप में (रु. में)			संदाय/प्रत्यय की तारीख**		वह दर जिस पर कटौती की रकम		स्रोत पर कटौती किए गए की कर रकम		कटौती की तारीख**	
जमा की तारीख**					संदाय का ढंग				साथ-साथ ई-कर संदाय	
									पश्चात्कर्ती तारीख पर ई-कर संदाय	

स्रोत पर कटौती किए गए कर के संदाय के ब्यौरे (रु. में रकम)					
टीडीएस (आयकर) (वह व्यक्ति जिसकी कटौती की गई हो, इस रकम के कर का प्रत्यय दिया जाएगा)					
ब्याज					
फीस					
कुल संदाय					
शब्दों में कुल संदाय (रु. में)					
करोड़	लाख	हजार	सैकड़	दहाई	इकाई
विशिष्ट अभिस्वीकृति सं. (टीआईएन द्वारा सृजित)					

* स्वतः अद्यतन किया जाए।

** दिन दिन/माह माह/वर्ष रुपविधान में।]

1. आय-कर (उन्नीसवाँ संशोधन) नियम, 2022 द्वारा 1-7-2022 से अंतःस्थापित।